Advanced International Journal for Research (AIJFR)
E-ISSN: 3048-7641 ● Website: www.aijfr.com ● Email: editor@aijfr.com

दिल्ली N.C.R. में बाल अपराध की प्रवृत्ति, कारण एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य: शालीमार गार्डन क्षेत्र के विशेष संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

रोहित कुमार[1], श्याम लाल[2]

[1,2]**विधि विभाग, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी गजरौला रजबपुर अमरोहा,**
उत्तर प्रदेश. (भारत)

सारांश

बाल अपराध एक ऐसी अमानवीय घटना है जो समाज के लिए बड़ी घातक है क्योंकि सभ्य समाज का निर्माण सभ्य लोग ही करते है और सभ्य लोग तभी समाज में होंगे जब समाज में पल रहे बच्चों को सभ्य परवरिश दी जाएगी | समाज कोई व्यक्ति नहीं है की उसको आप सुधार सकते हो बल्कि समाज एक लोगों का स्वरूप है जिसका कोई चेहरा नहीं होता है आज के समय में बाल अपराध की परेशानी उन बड़ी परेशानियों में से एक है जिससे समाज की आए दिन छवि खराब हो रही है और यह समस्या की एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरे समाज की है| और लगभग सभी देशों में बाल अपराध की घटना बढ़ रही है जो एक चिंता का विषय है | चिंता का विषय बताना इस लिए उचित है क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उसके बालक ही होते है | भारत में बाल अपराध को किशोर अपराध भी कहते है और इसको भारत में अलग अलग रूपों में वर्गीकरत किया गया है मनोवेगयानिकों का कहना है की कोई भी बालक जन्मजात अपराधी नहीं होता है बल्कि उसको परिस्थिति ऐसी मिलती है की वह अपराध की दुनिया में जाने अनजाने में कदम रखता है

बर्ट- उस बालक को अपराधी कहते हैं, जिसकी समाज विरोधी प्रवर्तिया

प्रस्तवना

बाल अपराध एक पूरे संसार में बाधा है ,जिसे सभी देश व समाज में किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है, और यह बात भी सत्य है की सभी देश एवं काल की परिस्थिति अलग अलग होती है | बाल अपराध के आकडे जो भारत में है वह वास्तव में ही चिंता जनक है | और यह समस्या बढ़ रही है ,जो आने वाली पीढ़ी के लिए कमजोर कड़ी बन ती जा रही है,बाल अपराध की आयु सीमा राज्य दर राज्य अलग हो सकती है | इसी आधार पर एक राज्य दुआरा निर्धारित आयु सीमा के भीतर एक बच्चे दुआरा किया गया गैरकानूनी कार्य बालअपराध होगा | बाल अपराध के लिए अधिकतम आयु सीमा एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है ,इस आधार पर एक राज्य दुआरा निर्धारित आयु के भीतर एक बच्चे दुआरा किया गया एक कानूनी विरोधी कार्य एक बाल अपराध बोला जाता है

बर्ट ; उस बालक को अपराधी कहते है जिसकी समाज में समाज विरोधी प्रवर्तिया इतनी गंभीर हो जाती है की उसके प्रति सरकारी कार्यवाही आवश्यक हो जाती है |

हीली ; वह बालक जो समाज जो समाज दुआरा स्वीकर्त आचरण का पालन नहीं कर्ता अपराधी कहलाता है ,जो कार्य जानबूझकर नहीं किया गया है उसे अपराधी नहीं कहते है केवल वही कार्य जो कानून दुआरा निषेध माने गए है यदि वह किए जाते है तो अपराध माने जाते है

दिल्ली एन। सी। आर में बाल आपराधिक घटनाओं पर विश्लेषण

दिल्ली-NCR में बाल अपराध (Juvenile Crime) की प्रवृत्ति, विशेषकर जघन्य अपराध, मुख्य रूप से घनी आबादी वाली अनधिकृत कॉलोनियों, पुनर्वास बस्तियों (Resettlement Colonies) और सीमावर्ती इलाकों में पाई जाती है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली (जाफराबाद, सीमापुरी, सीलमपुर, गोकुलपुरी, शाहदरा) और ओखला जैसे क्षेत्र इनमें प्रमुख हैं, जहाँ चोरी, स्नैचिंग, हिंसा और हत्या जैसे अपराधों में नाबालिग शामिल पाए जाते हैं।

दिल्ली NCR में बाल अपराध के प्रमुख केंद्र और प्रवृत्तियाँ:

संवेदनशील क्षेत्र (Hotspots):

उत्तर-पूर्वी दिल्ली: खजूरी खास, जाफराबाद, सीमापुरी, गोकुलपुरी, सीलमपुर, और शाहदरा इन इलाकों में सबसे अधिक मामले देखे जाते हैं क्योंकि यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। दक्षिण-पूर्व दिल्ली: ओखला क्षेत्र भी बच्चों के यौन शोषण (POCSO) और जघन्य अपराधों के मामले में संवेदनशील है। नई दिल्ली का सरहदी इलाका: गाजियाबाद और नोएडा से सटे इलाके, जहां से अपराधी आसानी से दिल्ली में प्रवेश करते हैं, अक्सर बाल अपराध का हॉटस्पॉट होते हैं।

प्रमुख बाल अपराध प्रवृत्तियाँ:

हिंसक अपराध: नाबालिग अब केवल छोटी चोरी नहीं, बल्कि हत्या, हत्या के प्रयास (Attempt to Murder), और गंभीर हिंसा जैसे जघन्य अपराधों में भी लिप्त हैं। स्नैचिंग (Snatching) और चोरी (Theft): पूर्वी दिल्ली में चेन स्नैचिंग और मोबाइल चोरी में 16-17 साल के किशोरों की भागीदारी सबसे ज्यादा है। यौन शोषण (Sexual Assault) (POCSO): दिल्ली में POCSO के तहत दर्ज मामलों में लगातार वृद्धि

बाल अपराध के मुख्य कारण

बाल अपराध व्यवहार की शैली और समय में विविधता प्रदर्शित करता है। प्रत्येक प्रकार का अपना सामाजिक सन्दर्भ होता है। कारण होते है तथा विरोध और उपचार के अलग स्वरूप होते हैं जो कि उपयुक्त समझे जाते हैं। हावर्ड बेकर (1966) ने चार प्रकार के बाल अपराध बताएँ है।

(क) वैयक्तिक बाल अपराध

(ख) समूह समर्थित बाल अपराध

(ग) संगठित बाल अपराध

(घ) स्थितिजन्य बाल अपराध

(क) वैयक्तिक बाल अपराध

यह वह बाल अपराध है जिसमें एक व्यक्ति ही अपराधिक कार्य करने में संलग्न होता है। और इसका कारण भी अपराधी व्यक्ति में ही खोजा जाता है। इस अपराधी व्यवहार की अधिकतर व्याख्याएँ मनोचिक्त्सिक समझाते हैं, उनका तर्क है कि बाल अपराध दोषपूर्ण पारिवारिक अन्तक्रिया प्रतिमानों से उपजी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण किये जाते हैं। हीले और ब्रोनर (1936) ने अपराधी युवकों की तुलना उन्हीं के अनपराधी सहोदारो से ही और उनके बीच अन्तरों का विश्लेषण किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि 13.0 प्रतिशत अनपराधी सहोदारों की तुलना मे 90.0 प्रतिशत अपराधी किशारों का घरेलू जीवन दुःख भरा था और वेअपने जीवन की परिस्थितियों से असन्तुष्ट थे, उनकी अप्रसन्नता की प्रकृति भिन्न थी। कुछ तो माँ-बाप द्वारा उपेक्षित मानते थे तथा अन्य या तो हीनता का अनुभव करते थे या अपने सहोदरों से ईर्ष्या करते थे या फिर मानसिक तनाव से पीड़ित थे, इन समस्याओं के समाधान के लिए वे अपराध में लिप्त हो गये थे, क्योंकि इससे (अपराध) या तो उनके माता-पिता का ध्यान उनकी और आकर्षित होता था या उनके साथियों का समर्थन उन्हें मिलता था या उनकी अपराध भावना को कम करता था। बन्दूरा और वाल्टर्म ने श्वेत बाल अपराधियों के कृत्यों की तुलना अनपराधी लड़को से ही जिनमें आर्थिक कठिनाईयों के स्पष्ट संकेत नहीं थे, उन्हें पता चला की अपराधी अनपराधीयों से उनकी माताओं के साथ सम्बन्धों की दृष्टि से थोड़ा सा भिन्न ही है, लेकिन उनके पिताओं के साथ अपने सम्बन्धों में कुछ अधिक भिन्न थे, इस प्रकार अपराध में पिता पुत्र सम्बन्ध, माता पुत्र सम्बन्ध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दिए क्योंकि अपने पिता में आदर्श भूमिका की अनुपस्थिति के कारण अपराधी लड़के नैतिक मूल्यों का अंतरीकरण नहीं कर सके, इसके साथ ही उनका अनुशासन अधिक कठोर था।

समर्थित बाल अपराध

इस प्रकार के अपराध में बाल अपराध अन्य बालकों के साथ में रहने से घटित होता है और इसका कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व या परिवार में नही मिलता, बल्कि उस व्यक्ति के परिवार व पड़ोस की संस्कृति में होता है। थ्रेशर शॉ और मैके के अध्ययन भी इसी प्रकार के बाल अपराध की बात करते हैं, मुख्य रूप से यह पाया गया कि युवक अपराधी इसलिऐ बना क्योंकि वह पहले से ही अपराधी व्यक्तियों की संगति में रहता था, बाद में सदरलैंड ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किये। जिसने विभिन्न संपर्क के सिद्धान्त का विकास किया।

संगठित बाल अपराध

इसमें वे अपराध सम्मिलित हैं जो औपचारिक रूप से संगठित गिरोहों द्वारा किये जाते हैं, इस प्रकार के अपराधों का विश्लेषण सन् 1950 के दशक में अमरीका में किया गया था तथा अपराधी उपसंस्कृति की अवधारणा का विकास किया गया था। यह अवधारणा उन मूल्यों और मानदण्डों की ओर संकेत करती है जो समूह के सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित करते हैं, अपराध करने के लिए इन्हें प्रोत्साहित करते हैं, इस प्रकार के कृत्यों पर उन्हें प्रस्थिति प्रदान करते हैं और उन व्यक्तियों के साथ उनके संबधो को स्पष्ट करते है जो समूह मानदण्डों से बाहर के समूह होते हैं।

स्थितिजन्य अपराध

स्थितिजन्य अपराध की मान्यता यह है कि अपराध गहरी जड़े नहीं रखता और अपराध के प्रकार और इसके नियंत्रित करने के साधन अपेक्षाकृत बहुत सरल होते हैं, एक युवक की अपराध के प्रति गहरी निष्ठा के बिना अपराधी कृत्य में संलग्न हो जाता है, यह या तो कम विकसित, अन्तः नियंत्रण के कारण होता है या परिवार नियंत्रण में कमजोरी के कारण या इस विचार के कारण कि यदि वह पकड़ा भी जाता है तो भी उसकी अधिक हानि नहीं होगी। डेविड माटजा ने इसी प्रकार के अपराध का सदंर्भ दिया है।

बाल अपराध सम्बन्धी सिद्धान्त

मर्टन थ्रेशर, शॅ एवं मैके, भीड कोहेन, क्लोवर्ड और ओहलिन आदि समाशास्त्रीय सिद्धान्तवादियो ने बाल अपराध के अपराधशास्त्रीय ज्ञान में प्रमुख योगदान दिया है जैसे मर्टन का मानक शून्यता सिद्धान्त, यह है कि जब पर्यावरण के भीतर उपलब्ध संस्थात्मक सांधनो ओर उन लक्ष्यों के, जिन्हें व्यक्तियो ने अपने परिवेश मे चाहा था, क बीच कोई विसंगति रह जाती है, तब तनाव या कुण्ठा पैदा होती है ओर प्रतिमान टूटते हैं परिणास्वरूप विचलित व्यवहार का जन्म होता है।

थ्रेशर का गिरोह सिद्धान्त

यह सिद्धान्त समूह अपराध पर केन्द्रीत है थ्रेशर का कहना है कि गिरोह बाल अपराध में सहयोग करता है, गिरोह किशोरावस्था की अवधि में निरन्तर खेल-समूहों और अन्य समूहों के बीच संघर्ष से उत्पन्न होता है और फिर अपने सदस्यों के अधिकारों की रक्षा तथा उन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिये उस गिरोह में परिवर्तित हो जाताहै, जो उनका पर्यावरण और उनका परिवार उन्हें प्रदान नहीं करता है। धीरे-धीरे गिरोह विशिष्ठ गुणों का विकास करता है, जैसे कार्य करने की विधि, अपराधी तकनीकों को प्रचारित करता है, पारस्परिक हितों और अभिरूचियो को उकसाता है और अपने सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता **है।**

शॉ और मैके का सांस्कृतिक संक्रमण का सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के अनुसार अपराधीक्षेत्र बाल अपराध की ऊँची दर में सहायक हैं- अपराधी क्षेत्र निम्न आय तथा भोतिक रूप से अवांछित क्षेत्र होते हैं, जिनके सदस्य आर्थिक उपेक्षाओं का शिकार होते हैं, इन क्षेत्रों में मौजूद अपराधी परम्पराओं का प्रभाव ही उन्हें अपराधी बनाता है।

जार्ज हरबर्ट भीड का 'स्व' का सिद्धान्त और भूमिका सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के अनुसार कुछ सीमित संख्या में ही व्यक्ति अपराधी पहचान धारण करते हैं जबकि अधिक संख्या में लोग कानून पालक ही रहते हैं, अपराधी बनने तथा अपराधी पहचान धारण करने में कानून उल्लघंन करने वालों की केवल संगति करने से भी कुछ अधिक सम्मिलित होता है। इस प्रकार के संपर्क व्यक्ति के लिए सार्थक होने चाहिए और ‘‘स्व’’ तथा ‘‘भूमिका’’ की उप अवधारणाओं के समर्थक होने चाहिये जिनके प्रति वह समर्पित होना चाहता है। एलबर्ट कोहेन का श्रमिक वर्ग के लड़के तथा मध्यमवर्गीय मानदण्ड मानता है कि अपराध मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग की घटना है, श्रमिक वर्ग का लड़का जब कभी मध्यमवर्गीय जगत में जाता है तो वह स्वंय को स्थिति में सबसे नीचे जाता है वह मध्यमवर्गीय मूल्यों को एक स्तर तक मानता है और कुछ सीमा तक वह स्वंय को मध्यमवर्गीय मानकों में कर लेता है। इसलिये उसके समक्ष समायोजन की समस्या आती है। अपराधी उपसंस्कृति इन बालकों को स्थिति का आकार प्रदान करके समायोजन की समस्या हल करती है। अपनी सफलता के लिये प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष का सामना करने के लिये व्यवहार कुशन न होने के कारण श्रमिक वर्ग के लड़के कुण्ठा का अनुभव करते हैं, मध्यमवर्गीय मूल्यों तथा मानकों के विरूद्ध प्रतिक्रिया करते हैं और उनके अनुपयोगी मूल्यों को अपनाते हैं, समूह या गिरोह की अपराधी क्रिया मध्यमवर्गीय संस्थाओं के विरूद्ध वैधताऔर समर्थन प्रदान करती है।

क्लोवार्ड और ओहलिन का सफल लक्ष्यों और अवसर संरचना सिद्धान्त के अनुसार जब कभी बाल अपने लक्ष्यों को वैद्य तरीकों से प्राप्त करने मे बाधाओं और अपनी आंकाक्षाओं को निम्न स्तर तक लाने में असमर्थता के कारण, निम्नवर्गीय युवक गहन कुण्ठाओं का अनुभव करते हैं जो उन्हें अवैध विकल्पों और अवज्ञा की खोज मे व्यस्त कर देता है।

वाल्टर मिलर का निम्नवर्गीय संरचन सिद्धान्त

निम्नवर्गीय संस्कृति की बात करता है जो प्रवाव, प्रवजन और गतिशीलता के परिणामस्वरूप उभरती है वे व्यक्ति जो इन प्रक्रियाओ के फलस्वरूप पिछड़ जाते हैं वे निम्न वर्ग के सदस्य होते हें वे एक अलग प्रकार के व्यवहार को विकसित कर लेते हैं जो विशिष्ट रूप से कठोरता, चुस्ती, उत्तेजना, भाग्य और स्वायतत्ता जैस गुणों पर आधारित होता है।

डेविड माट्जा का बहाव सिद्धान्त

माटजा का मानना है कि व्यक्ति न तो पूर्णरूपेण स्वंतत्र है न ही व पूर्णरूपेण निंयत्रित है बल्कि बहवा स्वंतत्रता और नियंत्रण के कहीं बीच में है, इसलिये युवक अपराधी तथा परम्परात्मक क्रिया के बीच बहाव रहता है, यद्यपि युवक की अधिकांश क्रियाऐं कानून के अनुसार होती हैं, फिर भी यदा-कदा वह अपराध की ओर बह जाता है क्योंकि सामन्य परम्परात्मक नियंत्रण जो अपराधी व्यवहार में मौजूद होते हैं बहाव की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप निष्प्रभावी हो जाते है। जब वह अपराध में लिप्त हो जाता है तो फिर वह परम्परात्मकता की ओर वापस बहकता है। इस प्रकार माट्जा ने ''अपराध'' की इच्छाओं पर जोर दिया है। यदि हम बाल अपराध से सम्बन्धित सभी समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों पर विचार करें तो यह कहा जा सकता है कि सभी समाजशास्त्रियों ने पर्यावरण, सामजिक संरचना और सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया है।

बाल अपराधियों के उपचार की विधियाँ

मनोचिकित्सा

यह मनौवैज्ञानिक साधनों से संवेगात्मक और व्यक्तित्व संबधी समस्याओं का निदान करती है, यह बाल अपराधी के विगत जीवन में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विषय में भावनाओं ओर अभिधारणाओं को बदलकर उपचार करती हैं। जब बच्चें के संबध प्रारम्भिक अवस्था में अपने माँ-बाप से अच्छे नहीं होते, तो उसका संवेगात्मक विकास अवरूद्ध हो जाता है, परिणामस्वरूप अपने परिवार के भीतर ही सामन्य तरीकों से संतुष्ट न होकर वह अपनी बाल आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के प्रयत्न में अक्सर आवेगी हो जाता है। इन आकांक्षाओंएवं आवेगों की संतुष्टि असामाजिक व्यवहार का रूप धारण कर सकती है। मनोचिकित्सा के माध्यमसे अपराधी को चिकित्सक द्वारा स्नेह और स्वीकृति के वातावरण में विचरण करने दिया जाता है।

यथार्थ चिकित्सा

यथार्थ चिकित्सा इस विचार पर आधारित है कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने वाले व्यक्ति अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करते हैं, यथार्थ चिकित्सा का उद्देश्य अपराधी बालक के जिम्मेदारी से काम करने में सहायता प्रदान करना अर्थात् असामाहिक क्रियाओं से बचाना है। यह विधि व्यक्ति के वर्तमान व्य वहार का अध्ययन करती है।

व्यवहार चिकित्सा

इसमें नवीन सीखने की प्रक्रियाओं के विकास द्वारा बाल अपराधी के सीखे हुए व्यवहार मे सुधार लाया जाता है। व्यवहार के पुरस्कार या दण्ड द्वार बदला जाता है, नकारातमक प्रबलन निषेधात्मक व्यवहार (अपराधी क्रियाओं) को कम करेगा जबकि सकरात्मक प्रबलन (जैसे पुरस्कार) सकरात्मक व्यवहार को बनाए रखेगा। व्यवहार को बदलने में दोनों ही प्रकार के कारकों का प्रयोग किया जा सकता है।

क्रिया चिकित्सा

कई बच्चों में समूह स्थितियो मे प्रभावी ढंग से मौखिक संवाद करने की क्षमता नहीं होती, क्रिया चिकित्सा विधि में बच्चों को उनमुक्त वातावरण में कुछ न कुछ कार्य करवाये जाते हैं। जहाँ वह अपनी आक्रामकता की भावना को रचनातमक कार्यों में, खेल या शैतानी में अभिव्यक्त कर सकता है।

परिवेश चिकित्सा विधि

यह ऐसा वातावरण पैदा करती है जो सुविधाजनक अर्थपूर्ण परिवर्तन तथा संजोषजनक समायोजन प्रदान करता है, यह उन लोगों के लिये प्रयोग किया जाता है, जिनका विचलित व्यवहार जीवन की विषम स्थितियों के प्रतिक्रियास्वरूप होता है।

उपर्युक्त विधियों के अतिरिक्ति बाल अपराधियों को उपचार में तीन और विधियों का प्रयोग भी किया जाता है :

1. व्यक्तिगत समाज कार्य अर्थात् कुसमायोजित बच्चे को उसकी समस्याओं से निपटने में सहायता करता है। व्यक्तिगत समाजिक कार्यकर्ता परिवीक्षा अधिकारी कारगार सलाहकार हो सकता है।

2. व्यक्तिगतसलाह अथार्त अपराधीबालक को उसकी तुरन्त स्थिति को समझना और अपनी समस्या का समाधान करने के लिये पुनर्शिक्षित करना

3. व्यवसायिक सलाह अर्थात् बाल अपराधी को उसके भावी जीवन के चुनाव में सहायता करना है।

शनदर्भ

1. बर्ट, सी : दि यंग डेलिंक्वेंट;
2. क्वैरेसियस : जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ऐंड दि स्कूल ;
3. हूटन : क्राइम ऐंड दि मैन;
4. इस्लर : सर्चलाइट्स आन् डेलिक्वेंसी (संकलन) ;
5. हीली ऐंड ब्रानर : न्यू लाइट्स आन डेलिंक्वेंसी ऐंड इट्स ट्रीटमेंट;
6. थ्रैशर : जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ऐंड क्राइम प्रिवेंशन (लेख) ;
7. आइकहार्न : दि वेवर्ड यूथ ;
8. स्मिथ, एच : अवर टाउंस : ए क्लोज अप;
9. शा ऐंड मैकी : जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ऐंड अरबन एरियाज़;
10. यंग : सोशल ट्रीटमेंट इन प्रोबेशन ऐंड डेलिंक्वेंसी;
11. गोरिंग : दि इंग्लिश कन्विक्ट;
12. लांब्रासा : क्राइम्, इट्स काज़ेज ऐंड रेमेडीज़;